न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :— अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:— 221/2022

महेन्द्र कुमार पुत्र श्री बलराम जाति जाट निवासी उमेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
—प्रार्थी

बनाम

1. कृष्ण कुमार उर्फ कृष्णलाल पुत्र श्री बलराम जाति जाट साकिन उमेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. राजपैरोकार नायब तहसीलदार गोलूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क राजस्व काश्तकारी अधिनियम

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1.	श्री अजय सिंह चौहान	प्रार्थी
2.	श्री करनी सिंह राठौड़	अप्रार्थी संख्या 1
3.	राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार गोलूवाला	अप्रार्थी संख्या 2

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 17/09/24

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क रा.का.अधि मय 151 सीपीसी के तहत प्रार्थी की ओर से श्री अजय सिंह चौहान अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है जिसमें संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण का प्रमाणित व पंजीकृत पता सिविल प्रक्रिया सहिंता के प्रावधानो के अनुसार वही है जो प्रार्थना पत्र के शीर्षक में निवेदित किया गया हैं।

प्रार्थी की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 5 यू.एम. डब्ल्यू के खाता स. 99/92 के प.न. 19/217 मु.न. 62 के किला न. 3 ता 6, 7/1/228, 7/2/025, 8, 13, 14, 15, 16, प.न. 20/217 के मु.न. 63 के किला न. 1/1/228, 1/2/ 025, 10, 11/1/.227, 20 की कुल 3.516 हैक. नहरी मय गैर मु. खाला कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जिसकी जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

अप्रार्थी की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 5 यू.एम.डब्ल्यू के खाता स. 26/95 के प.न. 19/217 मु.न. 62 के किला न. 1/2/025, 1/3/202, 2, 9, 10/1/228, 10/2/025, 11/1/228, 11/2/025, 12 की 1.492 हैक. नहरी मय गैर मु. रास्ता कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जिसकी जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

प्रार्थना पत्र की दफा 2 व 3 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है मिन प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थी के नाम प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित उक्त कृषि भूमि के प.न. 19/217 के किला न. 1 व 2 मे अर्सा दराज पूर्व से चल रहे 02 बिस्वा चौडा उतरी तरफ रास्ता का उपयोग व उपभोग करता आ रहा है प्रार्थी की कृषि भूमि में आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी इसी रास्ते का उपयोग अपनी कृषि भूमि में आने जाने व अपनी कृषि भूमि को काश्त करने व कृषि यंत्र ले जाने के लिये इसी रास्ते का उपयोग व उपभोग करता आ रहा है इस कारण प्रार्थी अप्रार्थी स. 1 के नाम वर्णित चक 5 यू.एम. डब्ल्यू के खाता स. 26/95 के प.न. 19/217 के किला न. 1 व 2 में अर्सा दराज पूर्व से चल रहे 02 बिस्वा चौडा उतरी तरफ रास्ता को राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड करवाना चाहता हैं तथा इसी अनुसार उक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाना चाहता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.09.18 10:20:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु अवागमन करने हेतू किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसलिये प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णितानुसार रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाना चाहता है। अप्रार्थी स. 1 को उक्त रास्ता स्वीकृत होने से हुये कृषि भूमि के नुकसान के बदले प्रार्थी रास्ते में स्वीकृत जितनी कृषि भूमि अथवा मुताबिक डी.एल.सी शुल्क का भुगतान करने हेतु तैयार है उक्त मौका पर चल रहे 02 बिस्वा रास्ता को बंद करने के उदेश्य से अप्रार्थी ने रास्ता में डिग्गी खुदवानी शुरू कर दी है जो अभी शुरू की है लेकिन राजस्व रिकार्ड में उक्त रास्ता दर्ज रिकार्ड न होने कि स्थिति में अप्रार्थी उक्त रास्ता के आवागमन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न कर सकता हैं, ऐसी स्थिति में मिन प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि में पहुंचने का रास्ता बंद हो जाएगा, तथा प्रार्थी को अपनी भूमि में आने जाने व कृषि कार्य करने की सुविधा को ध्यान में रखकर अप्रार्थी स. 1 के नाम प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णितानुसार रास्ता स्वीकृत किया जावे।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि चक 5 यू.एम.डब्ल्यू के खाता स. 26/95 के प.न. 19/217 के किला न. 1 व 2 में अर्सा दराज पूर्व से चल रहे 02 बिस्वा चौडा उतरी तरफ रास्ता को राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड करवाये जाने के आदेश फरमाये जावे। श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रार्थी की एक पक्षिय बहस प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी सुनी गई प्रथम दृष्टया सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का मामला होने के कारण अस्थाई निषेधज्ञा से अप्रार्थीगण को रकबा चक 5 यूएमडब्ल्यू के खाता संख्या 26/95 प.न. 19/217 के किला न. 1 व 2 की .506 है0 में मौका पर चल रहे रास्ता की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गए एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस जारी कर तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री करणी सिंह राठौड़ अधिवक्ता द्वारा वकलतनामा प्रस्तुत किया गया है। एवं जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। शामिल पत्रावली है।

जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 प्रस्तुत किया गया है निम्नानुसार है –यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 पक्षकारान के पते से सम्बधिंत है जो जवाब की मोहताज नही है।यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 रिकार्ड की हद तक स्वीकार है।यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 रिकार्ड की हद तक स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 स्पष्ट रूप से इन्कार है क्योंकि प्रार्थी प. न. 20/217 (63) किला न. 1 ता 5 में उतर की तरफ खाला के साथ साथ बने रास्ता से अपनी कृषि भूमि पर आता जाता रहा है तथा प. न. 20/217(63) के किला न. 5, 6, 15, 16, 25 के साथ साथ दूसरे मुरब्बा न. 64 के किला न. 1, 10, 11, 20, 21 में मंजूर शुदा रास्ता से जो गांव से आता है उससे आकर किला न. 1 ता 5 में खाला के साथ साथ आता रहा है प्रार्थी का यह कथन की वह मुझ अप्रार्थी की कृषि भूमि प. न. 19/217 के किला न. 1 व 2 में उतर की तरफ से कभी भी नही आता था बल्कि प्रार्थी के उक्त किला न. 2 व 3 के मध्य पक्का नक्का स्वीकृत शुदा है जो अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड प्रथम के निर्णय दिनांक 10.11.2021 से ही स्वीकृत शुदा है जो मौके पर चल रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.09.18 10:20:07 IST
Reason: SelfAttested

यह कि मन अप्रार्थी की जमाबंदी में प्रार्थी के कोई मुताबिक रास्ता दर्ज नही हैं। बल्कि प. न. 19/217 के किला न. 1/4 में 26 बिस्वा कृषि भूमि किसी अन्य काश्तकार की है जिस को पक्षकार भी नही बनाया गया है। मन अप्रार्थी की फसल गिरदावरी में भी किला न. 1 में अप्रार्थी के नाम के पूरे रकबा पर फसल काश्त है जमाबंदी व गिरदावरी सलग्न है । मन अप्रार्थी ने अपने रकबा के प. न. 19/217 के किला न. 1 में एमकेएसवाई योजना के तहत डिग्गी बनाने की स्वीकृति सहायक निदेशक कृषि से दिनांक 22/08/2022 को स्वीकृति प्राप्त

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

कर दिनांक 02/09/2022 प्रातः से ही मुताबिक महूर्त काम शुरू कर दिया था तब प्रार्थी ने मात्र मुझ अप्रार्थी को नुकसान पंहुचाने व डिग्गी का निर्माण पूर्ण न हो ताकि मुझे मिलने वाली सबसीडी नही मिले इस बदयान्ती से झूठे तथ्य प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय को धोखे में रखा है मुझ अप्रार्थी की डिग्गी का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा प्रार्थी नया रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है तो सभी काश्तकारों को पक्षकार बनाकर बाद सुनवाई यदि माननीय न्यायालय उचित समझे तो पूर्ण सुनवाई के बाद ही रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है। यदि किला न. 1 व 2 में रास्ता चलता होता तो सिंचाई विभाग द्वारा मन अप्रार्थी को प. न. 19/217 के किला न. 1 व 2 के मध्य पक्का नक्का भी स्वीकृत नही किया जाता। प्रार्थी के शेष तथ्य झूठे होने के कारण स्पष्ट इन्कार है। प्रार्थी प. न. 20/217 (63) किला नं. 1 ता 5 में उतर की तरफ खाला के साथ साथ बने रास्ता से अपनी कृषि भूमि पर आता जाता रहा तथा प.न. 20/217(63) के किला न. 5, 6, 15, 16, 25 के साथ साथ दूसरे मुरब्बा 64 के किला न. 1, 10, 11, 20, 21 में मंजूरशुदा रास्ता जो गांव से आता है उससे आकर किला न. 1 ता 5 में खाला के साथ साथ आता रहा है। मन अप्रार्थी की भूमि प.नं. 19/217(62) के किला न. 1 व 2 में उतर की तरफ से कभी भी नही आता था। इसलिए प्रार्थी मन अप्रार्थी की कृषि भूमि पर किसी भी प्रकार से रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नही है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अर्ज है कि मन अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि पर प्रार्थी के जाने का कभी कोई रास्ता नही था प्रार्थी अपनी भूमि में गांव की तरफ से आ रहे अन्य रास्ता से आवागमन करता रहा है तथा भूमि मन अप्रार्थी की खातेदारी है जिस पर प्रार्थी किसी प्रकार से रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावे तथा मन अप्रार्थी को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा का पत्रांक 629 दिनांक 27.08.24 से बिन्दूवार तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर चालू नहीं है।प्रार्थी के द्वारा चाहे गये रास्ते में आने वाली भूमि से सम्बन्धित काश्तकार कृष्णकुमार उर्फ कृष्ण लाल पुत्र बलराम जाति जाट सा. उमेवाला खातेदार को पक्षकार बनाया गया है।प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा उस भूमि को पूर्व में कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते से कम दूरी का कोई रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते से कम दूरी का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं लगता है। बल्कि उतनी ही दूरी का रास्ता प.नं. 19/217 कि.नं. 11–12 (प्रत्येक में दक्षिण दिशा में है।) जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सहमति बन चुकी है। है। प्रार्थी के द्वारा रास्ते के अलावा प्रार्थी व अप्रार्थी की सहमति से प.नं. 19/217 (62) कि.नं. 11/0.025, 12/0.025 (प्रत्येक में दक्षिण दिशा में) रास्ता चालू है। अप्रार्थी की इस भूमि के बदले प्रार्थी अपने खातेदार भूमि मे से प.नं. 19/217 कि.नं. 3/0.017, 8/0.017, 13/0.016 कुल 0.050 हैक्ट. (प्रत्येक का पश्चिमी पासा) भूमि देने के लिए सहमत है। दोनों ने अपनी सहमति के हस्ताक्षर दिये ।

बहस उभय पक्षसुनी गई। उभय पक्ष द्वारा प्रकरण में तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार चाहे गए रास्ते के अतिरिक्त अन्य रास्ता पर सहमति हो गई है। बहस पर मनन कर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संलग्न दस्तावेजों शपथ पत्र अवलोकन प्रार्थी व अप्रार्थीगण सहमती एवं तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के तहत स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.09.18 10:20:07 IST
Reason: SelfAttested

—:आदेश:—

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत रिपोर्ट तहसीलदार पीलीबंगा का अवलोकन व अध्ययन किया गया। तहसीलदार पीलीबंगा की

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

रिपोर्ट व प्रस्तुत नक्शा एव मौका निरिक्षण के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के बल्कि उतनी ही दूरी का रास्ता चक 5 युएमडब्ल्यु के प.नं. 19/217 कि.नं. 11–12 (प्रत्येक में दक्षिण दिशा में है।) जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सहमति बन चुकी है। प्रार्थी के द्वारा रास्ते के अलावा प्रार्थी व अप्रार्थी की सहमति से इसी चक के प.नं. 19/217 (62) कि.नं. 11/0.025, 12/0.025 (प्रत्येक में दक्षिण दिशा में) रास्ता चालू है। अप्रार्थी की इस भूमि के बदले प्रार्थी अपने खातेदारी भूमि में से प.नं. 19/217 कि.नं. 3/0.017, 8/0.017, 13/0.016 कुल 0.050 हैक्ट. (प्रत्येक का पश्चिमी दिशा) भूमि देने के लिए सहमत है। दोनों ने अपनी सहमति के हस्ताक्षर दिये। अतः रिपोर्ट तहसीलदार के आधार पर प.नं. 19/217 (62) कि.नं. 11/0.025, 12/0.025 (प्रत्येक में दक्षिण दिशा में) चालू रास्ता को स्वीकृत किया जाता है। रास्ते के प्रतिफल के रूप में प्रार्थी के प.नं. 19/217 कि.नं. 3/0.017, 8/0.017, 13/0.016 कुल 0.050 हैक्ट. (प्रत्येक का पश्चिमी दिशा) भूमि अप्रार्थी के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते है। आदेशों की पालना में तहसीलदार उक्तानुसार रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो । आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 17/09/24 सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.09.18 10:20:07 IST
Reason: SelfAttested